

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोहर- सखिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक ब्रह्मदेव कुमार प्रथम पक्ष
 पक्ष प्रा. उ. प. र. म. ग. म. बनाम प. म. ग. म. द्वितीय पक्ष


देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० से तक
 जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 180 सन् 2021

धारा 144 दण्डप्रो.सं.

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पक्षधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर ली गई कारवाई के बारे में दिग्गणी तारीख सहित
1	2	3
01/10/21	<p>आदेश लेख उपस्थानित। श्री प्रा. उ. प. र. म. ग. म. प्रभारी खिरी के जांचक 22/5/2021 दिनांक 21.09.21 के द्वारा संपन्न किया गया प्रा. उ. प. र. म. ग. म. के बाद संतुष्ट है कि मुक्ति विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष तकरार के लिए तत्पर हैं। इस बात से प्रतीत है कि इस मामले में तकरार को दूर करने तथा अतिक्रमण शांति बनाये रखने के लिए निरोधान्त्रक कार्रवाई आवश्यक है।</p> <p>उभय पक्षों के शालोक में उभय पक्षों के विरुद्ध पंचायत 144 दण्ड प्रो. सं. के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए</p>	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>के प्रतिबंधन के अन्तर्गत प्रधान पक्ष अपनी तहसील जमीन से अधिकाधिक भूमि पर समाप्त बना रहे हैं।</p> <p>उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रधान पक्ष अपने भूमि के सीमा तथा विवाद को सम्बुद्ध नहीं कर पाये हैं। साथ ही प्रविष्ट की भूमि पर अन्य निर्मित मकान हैं। अतः बादा की कार्रवाई तुरन्त पक्ष के हित के सम्मान किया जाना है।</p> <p style="text-align: right;">  18/11 </p>	